न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./39/2015/जैसलमेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़, जिला जैलसमेर। **बनाम** 1.मु0गंगादेवी पत्नी स्व. दौलतदान फौत
2.अखेदान पुत्र स्व.दौलतदान
3.पाबूदान पुत्र स्व. दौलतदान जातियान चारण निवासी गुहडा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 18/2008 बअनवान मु. गंगादेवी वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम ग्राम गुहडा के खसरा संख्या 02 में रकबा 114.15 बीघा, खसरा संख्या 09 रबा 77.11 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 42.13 बीघा व खसरा संख्या 84 रकबा 50.06 बीघा कुल रकबा 285.04 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 26.09.2013 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी में से अधिकतम सीमा तक धारण योग्य भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादीगण भूतपूर्व जागीरदार दौलतदान के जायज व कानूनी वारिस होकर गुहड़ा के निवासी है। ग्राम गुहड़ा के समरी खसरा संख्या 10 (लखे वाली डेहरी) रकबा 86.05 बीघा, खसरा संख्या 04 (थोरी नादिया वाला) रकबा 230 बीघा, खसरा संख्या 07 (टिबडे वाली नोण) रकबा 287.10 बीघा, खसरा संख्या 13 (देठकी वाला) रकबा 172.10 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 2 रकबा 114.10 बीघा, खसरा संख्या 9 रकबा 77.11 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 50.06 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 42.13 बीघा; तुलनात्मक रजिस्टर मुताबिक दौलतदान के नाम दर्ज रहा है। वादीगण का वर्तमान खसरा संख्या 9, 84 किस्म बंजड कुल खसरा 02 रकबा 161.17 बीघा को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सिवायचक दर्ज किया गया। जिसका कारण स्पष्ट किया गया है कि "बंजड़ होने की वजह से सिवायचक दर्ज किया गया **(EXP-3)** लेकिन उनको कुल 20 खसरों में (इसे सम्मिलित करते हुए) कुल रकबा 1176.07 बीघा भूमि वर्तमान बंदोबस्त में खातेदारी में दी गई जो कि राजस्थान में सीलिंग कानून मुताबिक अधिकतम धारण योग्य भूमि के निर्धारित रकबे से बहुत अधिक है। वादीगण पूर्व से ही सीलिंग सीमा में शुमार होने की स्थिति में है जबकि उन्होंने उनके विरूद्ध चले सीलिंग प्रकरण की कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने अपनी कुल धारित भूमि के बारे में भी कोई कथन नहीं किया है। इनका दावा किसी भी रूप में सद्भाविक नहीं है। सीलिंग सीमा से अधिक भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हो जाने के फलस्वरूप वे वादग्रस्त भूमि पर दावा लाने के अधिकारी नहीं ठहरते हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का वक्त बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने का भी रिकॉर्ड पर कोई अभिलेखीय सबूत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की धारित भूमि की जानकारी लिये बिना सीलिंग सीमा से अधिक रकबा की भूमि पर खातेदारी देना विधि–विरूद्ध है लिहाजा अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 18/2008 बअनवान मु. गंगादेवी वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2013 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner